उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-9/2015/25/14/2015-का-4-2015
लखनऊ : दिनांक : 12 अगस्त, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अध्यक्ष एवं सदस्य, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के चयन हेतु निम्नानुसार गाईड लाइन्स एवं पैरामीटर निर्धारित किये जाते हैं:-

(1) अध्यक्ष/सदस्य, लोक सेवा आयोग के चयन हेतु निम्नानुसार सर्च कमेटी गठित की जाती है:-

(i)	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
(ii)	प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
(iii)	प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य (सचिव/संयोजक)

(2) उक्त सर्च कमेटी :-

(क) शार्टलिस्ट तैयार करने के पूर्व विशिष्ट व्यक्तियों, वर्गों एवं संस्थाओं जिन्हें वे अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु उपयुक्त समझते हैं, उनके नामांकन/बायोडाटा आमंत्रित करेंगे।

(ख) अपने श्रोतों से ऐसे व्यक्तियों के पृष्ठभूमि एवं उनकी पूर्व उपलब्धियों के सम्बन्ध में यथासंभव सूचना एकत्रित करेंगे।

(ग) लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के अध्यक्ष एवं सदस्य पद की रिक्तियों के सापेक्ष प्राप्त आत्म वृत्तों (बायो डाटा) का विस्तृत परीक्षण करेगी, जिसमें विशेष रूप से उनकी शैक्षिक योग्यतायें, प्रशासनिक अनुभव एवं किसी क्षेत्र विशेष में किये गये उल्लेखनीय कार्य का उल्लेख हो।

(घ) आत्म वृत्तों के परीक्षणोपरान्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद हेतु यथासंभव 05 अभ्यर्थियों के नाम तथा सदस्य पद हेतु रिक्त पदों के यथासंभव 03 गुना अभ्यर्थियों के नाम संस्तुत करेगी किन्तु यदि किसी नाम पर सर्च कमेटी के दो सदस्यों द्वारा आपत्ति की जाती है तो उनका नाम शार्टलिस्ट में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(3) अध्यक्ष/सदस्य पद पर चयन/नियुक्ति हेतु, सर्च कमेटी की संस्तुति के अनुसार सूचीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों की सूची, मा. मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु चयनित व्यक्ति की नियुक्ति पर मा. मुख्य मंत्री जी की संस्तुति के उपरान्त महामहिम श्री राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त इनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :

(क) भारत सरकार/ राज्य सरकार/ अन्य प्रदेशों के सेवारत् अधिकारियों को

http://shasanadesh.up.nic.in

चयनित करने पर उनके संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सतर्कता जांच/विभागीय कार्यवाही प्रचलित न होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(ख) भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य प्रदेशों के ऐसे व्यक्ति, जो सेवानिवृत्त हो गये हों, को नियुक्ति प्रदान करने के पूर्व उनके पूर्ववृत्त की जानकारी सम्बन्धित विभाग अथवा अन्य स्रोतों से, जैसा उपयुक्त समझा जाये, प्राप्त की जायेगी।

(ग) प्रदेश या प्रदेश के बाहर के ऐसे असरकारी व्यक्तियों के मामले में उनके मूल-निवास के स्थान तथा वर्तमान निवास-स्थान से संबन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट से उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन-रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी।

(5) उक्त के अनुसार जारी चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में रिपोर्ट संतोषजनक होने पर ही अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।

2. भविष्य में इन पदों पर चयन हेतु उपरोक्त गाईड लाइन्स एवं पैरामीटर लागू होंगे।

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-25/14/2015(1)-का-4-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन (अध्यक्ष)।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (सदस्य)।
3. प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभग, उत्तर प्रदेश शासन (सदस्य सचिव/संयोजक)।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रघुनाथ सिंह परिहार
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in